प्रमाणित

# इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

## वार्षिक रिपोर्ट (2016-2017)

प्रवासी भारतीय मामले प्रभाग
विदेश मंत्रालय
10 वीं मंजिल, अकबर भवन
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021
www.mea.gov.in/icm.htm
icm@mea.gov.in

# विषय-सूची


| भाग | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1 | पृष्ठभूमि | 3 |
| 2 | संस्था के बहिर्नियम | 3 |
| 3 | विशेषज्ञता के क्षेत्र | 6 |
| 4 | शासी संरचना | 7 |
| 5 | 2016-2017 में किए गए कार्यकलाप | 9 |
| 6 | फैलोशिप कार्यक्रम | 14 |
| 7 | प्रशिक्षुता कार्यक्रम | 15 |
| 8 | वित्त और प्रशासनिक मुद्दे | 15 |
| 9 | शासी परिषद के सदस्य | 18 |
| 10 | आईसीएमके कर्मचारी | 19 |
| 11 | चित्र | 20 |
| 12 | बैलेंस शीट | 21 |

# इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन

## 1. पृष्ठभूमि

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) की एक स्वायत्त निकाय और विचार-मंच के रूप में कार्य करती है। आईसीएमकी स्थापना जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई थी। यह केंद्र भारत के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए अनुकूल और सुसंगत प्रतिक्रिया हेतु संसूचित नीति संरचना करने और सामरिक मध्यवर्तन सुकर करने में सहायक होने के लिए अनुभवजन्य, विश्लेषी और नीति संबंधी शोध करने और श्रेष्ठ पद्धतियों के दस्तावेजीकरण की परियोजनाओं का कार्य करता है।

आईसीएम भारत में अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है जो विशेष रूप से प्रवासियों के कल्याण और संरक्षण सहित भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और शोध करने के लिए समर्पित है। यह केंद्र विदेश मंत्रालय का अनुदान-सहायता निकाय है और मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित है।

## 2. संस्था के बहिर्नियम

संस्था के बहिर्नियम में आईसीएमके दैनिक के संचालन के नियम और विनियम प्रावधानित हैं।

### 2.1 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कार्य:

1. विदेशों में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट रोजगार के अवसरों पर डाटाबेस बनाना और उनका रखरखाव करना।
2. विदेशी श्रम बाजारों में श्रम आपूर्ति की कमी और उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय कामगारों द्वारा अपेक्षित कौशल सेटों को चिन्हित करना।
3. व्यवसायिक निकायों और निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
4. श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू करना।

5. राज्य जनशक्ति विकास निगमों, परियोजना जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के चलन और गतिशीलता, भारत और विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं, अन्य श्रम प्रेषित देशों की श्रेष्ठ प्रथाओं को बेंचमार्क करने और नीतिगत पहलों/कार्य-नीतियों की अनुशंसा करने संबंधी अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण करना और समर्थन करना।

7. इस प्रयोजन के लिए कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्थाओं सहित प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यक कल्याण सहायता प्रदान करना।

## 2.2 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार मुख्य उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों के साथ-साथ विभिन्न श्रम प्रेषण और प्राप्त करने वाले देशों की कार्य-नीतियों का सतत से निगरानी, अध्ययन और विश्लेषण करना।

निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदत्त नियोजन सेवाओं के संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को 'उपभोक्ता' के रूप में स्थान देना।

विशिष्ट राज्यों/देश और लिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अंगीकार करना।

भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रक्षेपित करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों और भारतीय युवाओं के लिए उदीयमान विदेशी नियोजन के अवसरों को चिन्हित करने के लिए अध्ययन करना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित कल्याणकारी योजनाओं का प्रशासन करना।

श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए राष्ट्रीय संरचना बनाना और उसे पोषित करना।

भारतीयों के विदेशी नियोजन को बढ़ावा देने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक कार्य-नीतियों को तलाशने और निष्पादित करने के लिए एक 'विचार-मंच' के रूप मं काम करना।

# 3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर, केंद्र विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन और कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति और प्रवासन शासन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन प्रेषण और विकास
- महिला प्रवासी कामगार
- भारतीयों के लिए श्रम बाजार और संभावित अवसर
- सूचना प्रसार और जागरूकता अभियान
- विदेशों में भारतीयों के सुरक्षित, कानूनी और मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मुद्दे

# 4. शासी संरचना

केंद्र में दो-स्तरीय निकाय है जिसमें एक शासी निकाय / शासी परिषद (जीसी) और एक कार्यकारी निदेशालय (ईडी) शामिल हैं।

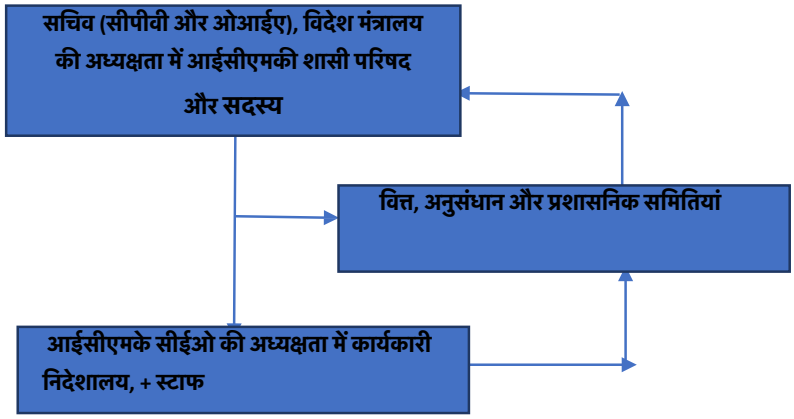


1. **शासी परिषद्** के सचिव, (सीपीवी और ओआईए), विदेश मंत्रालय, आईसीएमके अध्यक्ष हैं, और निम्नलिखित इसमें सदस्य हैं:
    1. सचिव, आर्थिक मामले विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय या प्रतिनिधि
    2. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय या प्रतिनिधि
    3. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या प्रतिनिधि
    4. सचिव, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय
    5. तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव (वर्तमान में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शासी परिषद् में हैं) रोटेशन के आधार पर
    6. सरकार द्वारा बाह्य नामितों के रूप में चार विशेषज्ञ
    7. कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है
2. **कार्यकारी निदेशालय** में सीईओ और कर्मचारी शामिल हैं। वर्तमान में, संयुक्त सचिव (ओआईए-आई), विदेश मंत्रालय आईसीएम के सीईओ हैं।

शासी परिषद और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संस्था के बहिर्नियम में शासी परिषद संरचित नीतियों के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान/निगरानी, वित्त और प्रशासनिक समितियों का प्रावधान है।

## 3. शासी परिषद की बैठकें

**आईसीएमकी शासी परिषद की वित्त वर्ष 2016-17 में 7 (सात) बैठक हुईं। बैठकों की तिथियां और स्थान नीचे दर्शाई गई है:**

| बैठक | दिनांक | स्थान |
|---|---|---|
| **I** | 04.09.2008 | नई दिल्ली |
| **II** | 04.02.2009 | नई दिल्ली |
| **III** | 18.10.2011 | नई दिल्ली |
| **IV** | 04.10.2012 | नई दिल्ली |
| **V** | 22.05.2015 | नई दिल्ली |
| **VI** | 04.12.2015 | नई दिल्ली |
| **VII** | 13.02.2017 | नई दिल्ली |

## 4.4 कर्मचारी

आईसीएम में, इस समय 3 कर्मचारी हैं। संगठन की आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से अनुबंध आधार पर इनकी भर्ती की जाती है। उन्हें एक या दो साल का अनुबंध दिया जाता है, जो निष्पादन के आधार पर नवीनीकृत किए जाते हैं।

# 5. 2016-2017 में किए गए कार्यकलाप

## क. प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर आईओएम के साथ सहयोग

आईसीएम ने मई 2016 में, प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन) के साथ सहयोग किया। आईसीएमके साथ तकनीकी सहयोग की प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मैनुअल और संसाधन पुस्तिका का विकास।
2. भारत के 6 राज्यों से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से 120 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
3. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, दोनों के लिए, प्रवास प्रबंधन पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना।

**परियोजना पर प्रगति:**

1. आईसीएम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के सहयोग से 2016-2017 में, 12 मॉड्यूल से युक्त पीडोट पर एक व्यापक और अनन्य टीओटी मैनुअल विकसित किया। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    i. प्रस्तावना
    ii. प्रवासन: प्रकार और चलन
    iii. प्रवासन की लागत और लाभ
    iv. विदेशी रोजगार के लिए भर्ती के तरीके
    v. विदेश यात्रा
    vi. विदेश में रहना और काम करना
    vii. बचत और धन-प्रेषण
    viii. महिला अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
    ix. प्रवासी कामगारों के लिए कानूनी संरक्षण
    x. विदेशों में भारतीय मिशनों की भूमिका
    xi. भारतीय उत्प्रवासियों के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

2. घर वापसी प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर पुस्तिका तैयार की गई और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित की गई है।

3. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित मैन्युअल के आधार पर के आधार पर 30 मास्टर ट्रेनरों के पहले बैच को 27-31 मार्च 2017 के दौरान प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है और यह मंत्रालय और आईसीएम के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। अनुभवों के आधार पर, राज्य सरकारों और एनएसडीसी के सहयोग से भारतीय राज्यों में अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

## ख. घरेलू क्षेत्र के कामगारों पर यूएन वुमैन के साथ सहयोग

वर्ष 2016-2017 में, आईसीएम ने "भारत से महिला घरेलू कामगारों का प्रवासन: सुरक्षित गतिशीलता के लिए क्षमताओं का निर्माण" परियोजना को लागू करने के लिए यूएन वुमैन के साथ सहयोग किया। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की प्रमुख प्रवासन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जो महिला घरेलू सेवा कामगारों को भेजने के लिए जानी जाती हैं। इस तकनीकी सहयोग का उद्देश्य निम्नलिखित है:

क. घरेलू सेवा कामगार के सुरक्षित और कानूनी प्रवास पर दो वीडियो और दो ऑडियो तैयार करना और प्रसार करना।

ख. दोनों राज्यों के प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षक के संचालन की क्षमता वाले प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और लिंग और सुरक्षित प्रवासन पर 2 पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ग. विदेशों में सुरक्षित और कानूनी प्रवास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर अनुमानित 5000 इच्छुक प्रवासी महिला घरेलू सेवा कामगार के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान।

**परियोजना पर प्रगति**:

क. आईसीएम और संयुक्त राष्ट्र महिला दोनों ने संयुक्त रूप से महिला घरेलू सेवा कामगार के सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए दो ऑडियो और दो वीडियो विकसित किए हैं। ऑडियों और वीडियो दोनों के लिए संदेश ओई-पीजीई प्रभाग और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे कि बहुपक्षीय, संयुक्त राष्ट्र निकाय और संबंधित समुदाय आधारित संगठनों के परामर्श से किए गए थे।

ख. महिला घरेलू सेवा कामगार के लिए एक विशेष प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षक मैनुअल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। मॉड्यूल के लिए मसौदा अध्याय और सामग्री तैयार है।

ग. महिला घरेलू सेवा कामगार के लिए पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण पर एक विशेष पुस्तिका भी तैयार की जा रही है।

## ग . भारत से घरेलू सेवा कामगार: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उनके प्रवास के लिए भर्ती प्रथाओं और कारणों पर अध्ययन

आईसीएम ने भारत से घरेलू सेवा श्रमिकों पर अध्ययन करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), तिरुवनंतपुरम को वित्त-पोषित किया है। अध्ययन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पांच जिलों, अर्थात् पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, कडप्पा (आंध्र प्रदेश में) और निजामाबाद और करीमनगर जिले (तेलंगाना में) हैदराबाद शहर सहित विशेष रूप से महिलाओं को भेजने के लिए जाना जाता है। खाड़ी क्षेत्र के घरेलू कामगार / गृहिणी, और उनके प्रवास के सामाजिक-आर्थिक कारणों की जाँच की जाती है। साक्षात्कार और फ़ोकस समूह चर्चा के माध्यम से, अध्ययन में महिला प्रवासियों / गृहणियों के प्रवास चक्र बनाने और विभिन्न हितधारकों की भूमिका की जांच करने का प्रयास किया जाएगा, जो मध्य-मार्ग / पुनर्वास में काम / वापसी के लिए अपने निर्णय को प्रभावित करने वाले बिचौलियों / एजेंटों की भूमिका को प्रभावित करेगा। आयु प्रतिबंध (30 वर्ष)

और बैंक गारंटी (यूएसडी 2,500) जैसे विनियामक उपायों की भी जांच की जाएगी। यह आशा की जाती है कि अध्ययन कौशल उन्नयन, प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास, देश-विशिष्ट मैनुअल, जागरूकता और मीडिया अभियानों और आधारभूत स्तर के हितधारकों के साथ काम करने के लिए उपाय / कार्यक्रम करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करेगा। क्षेत्र का दौरा पूरा हो चुका है और अप्रैल 2017 तक अध्ययन पूरा होने की आशा है।

## घ. प्रवासी कौशल विकास योजना के हिस्से के रूप में प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण का कार्यान्वयन

आईसीएम ने विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से प्रवासी कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रवासी कौशल विकास योजना के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण आईओएम के साथ आईसीएम के सहयोग से तैयार 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' मैनुअल पर आधारित है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मैन्युअल के आधार पर के आधार पर 30 मास्टर ट्रेनरों के पहले बैच को 27-31 मार्च 2017 के दौरान प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

## ङ. ईसीआर देशों के प्रवास प्रबंधन और आईसीएमकी भूमिका पर प्रवासी भारतीय दिवस पैनल

आईसीएम ने 28 जून 2016 को आयोजित ईसीआर देशों के प्रबंधन प्रवास और आईसीएम की भूमिका पर प्रवासी भारतीय दिवस पैनल में सक्रिय रूप से भाग लिया। पैनल की अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती  सुषमा स्वराज ने की और विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों के अधिकारियों, बहुपक्षीय प्रतिनिधियों, भारतीय प्रवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और आईसीएमकी संचालन परिषद के सदस्यों ने भाग लिया। पैनल ने प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जैसेकि श्रम सहयोग के लिए रूपरेखा समझौते, गंतव्य देशों में समान इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के साथ इमिग्रैंट प्रणाली का एकीकरण, दोषी भर्ती एजेंटों के मुद्दे, उपयुक्त कौशल और प्रमाणपत्र के साथ प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने, प्रवासी श्रमिकों के लिए बीमा, पर्यटकों के माध्यम से अवैध प्रवासन, वीजा, घरेलू सेवा कामगारों और नर्सों से संबंधित मुद्दे, संकट में प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्थन प्रणाली, निगरानी प्रवासन, जागरूकता और मीडिया अभियान, प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण और प्रवासी श्रमिकों की चिंताओं को दूर करने में राज्य सरकारों और एनआरआई विभागों की भूमिका।

## च. प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में आईसीएम की भागीदारी

विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय मामले (ओआईए) प्रभाग द्वारा शुरू किए गए कल्याण और सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करते हुए आईसीएम ने 7-9 जनवरी 2017 के दौरान दो स्टाल लगाए हैं। दोनों स्टालों ने बड़ी संख्या में लोग आए और वे आगंतुक प्रवासी भारतीयों की चिंताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय और उसके संस्थागत ढांचे के बारे में जानने के इच्छुक थे। आईसीएमने प्रवासी भारतीय दिवस 2017 के दौरान जारी प्रवासी भारतीयों के कल्याण और संरक्षण पर एक विशेष पुस्तिका और प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण पर पुस्तिका की प्रतियां वितरित की।

## छ. आईसीएमकी 2016- 2017 में विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भागीदारी

आईसीएम ने 2016-2017 में, अनेक सम्मेलनों, कार्यशालाओं और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया जिनमे से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:प्रकार हैं:

निम्नलिखित प्रमुख बैठकों में भाग लिया:

i. ईसीआर देशों में उत्प्रवासन पर प्रवासी भारतीय दिवस पैनल और आईसीएमकी भूमिका का आयोजन ओसीआर प्रभाग, विदेश मंत्रालय ने (28 जून 2016) किया।
ii. ओमान के साथ नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की बैठक (26-27 जुलाई 2016)।
iii. कोलंबो प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कौशल और योग्यता की मान्यता (ब्लूजीन के माध्यम से ऑनलाइन बैठक) (1 दिसंबर 2016)।
iv. विदेश मंत्रालय द्वारा 14 वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। आईसीएम ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण और सुरक्षा उपायों के प्रदर्शन के लिए दो स्टाल लगाए। आईसीएम द्वारा, आयोजन के दौरान, विदेशों में भारतियों के कल्याण और संरक्षा पर संकलित एक विशेष पुस्तिका जारी की गई (7- 9 जनवरी 2017)।
v. प्रवासन और गतिशीलता पर यूरोपीय संघ-भारत उच्च स्तरीय वार्ता पर अंतर-मंत्रालय की बैठक 9 अगस्त 2016 और 24 जनवरी 2017 को विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग द्वारा ओआईए-I प्रभाग के साथ आयोजित की गई।
vi. संयुक्त राष्ट्र सामरिक प्राथमिकता नई दिल्ली।
vii. व्यक्तियों का अवैध आवागमन (रोकथाम, संरक्षा और पुनर्वास) पर मसौदा बिल, 2016 (प्रवासी भारतीय केंद्र, बिल का मसौदा तैयार करने के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी समिति का सदस्य था)।

**सम्मेलन :**

i. तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित प्रवासन, विकास और प्रवासी सम्मेलन (16-17 अगस्त 2016)।
ii. नए भारतीय प्रवासी और गिरमिटिया डायस्पोरा: अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और विकास अध्ययन केंद्र (सीएसआईआरडी) द्वारा कोलकाता में आयोजित, भारतीय विदेश नीति के लिए नए अवसर, (3-4 नवंबर 2016)।
iii. मोबिलिटी पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन और नई दिल्ली में फिक्की द्वारा उत्प्रवासन के लिए आयोजित व्यापार मामला (5 दिसंबर 2016)।
iv. दक्षिण एशिया में सतत आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी सृजन पर कार्यशाला नई दिल्ली में आरआईएस- एसएसीईपीएस और एशिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित (5 दिसंबर 2016)।

**प्रशिक्षण में सहभागिता:**

1. दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 5-12 दिसंबर 2016 को आईएलओ की श्रम उत्प्रवासन अकादमी द्वारा "संरक्षा संवर्धन, संपोषणीय विकास प्रोत्साहित करना और न्यायोचित व प्रभावी श्रम उत्प्रवासन शासन सुकर

करने" पर  पर प्रशिक्षण।

## ज. भावी कार्य-क्षेत्र

2016-2017 में पूरा किए गए कार्य और बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेने के आधार पर, आईसीएम, प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी विकसित करने; गतिशीलता साझेदारियों की जांच करने और मौजूदा बाजारों में संतृप्ति को देखते हुए भारतीयों के लिए संभावित रोजगार के अवसरों के लिए नए गंतव्यों का पता लगाने; भारतीय राज्यों में एनएसडीसी के मास्टर प्रशिक्षकों को प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण लागू करने; बहुपक्षीयों और अन्य समान विचारधारा वाले अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग जारी रखने; भारतीय संदर्भ में प्रेषण की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा और अंत में उन क्षेत्रों और मुद्दों जो विदेश मंत्रालय के ओआईए प्रभाग को तत्काल प्राथमिकता देते हैं, पर ध्यान केंद्रित करेगा।

## झ.  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ आईसीएम का सहयोग

आईसीएम ने प्रवासन और प्रवासियों पर इग्नू के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रवास और प्रवासी: उभरती विविधताएं और विकास चुनौतियां" को सह-प्रायोजित किया है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 22-23 मार्च, 2017 को आयोजित किया गया है और इसका आयोजन स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस-डिसिप्लिनरी स्टडीज (एसओआईटी) द्वारा किया जा रहा है। इग्नू के साथ आईसीएमका अकादमिक सहयोग शिक्षाविदों के साथ-साथ नीति निर्माताओं के लिए भारत के जुड़ाव को बढ़ाने और प्रवासी भारतीयों के लिए नीतिगत संरचना को सुदृढ़ करने में लाभदायक होगा। इग्नू श्रम बाजारों, आव्रजन कानून और भारतीयों के लिए संभावित रोजगार के अवसरों के बारे में विवरण कैप्चर करने के लिए देश-प्रोफाइल डिजाइन करने पर आईसीएम के काम की जानकारी प्रदान करेगा।

# 6. आईसीएम में फैलोशिप कार्यक्रम

आईसीएम में, स्थापना के बाद से, तीन वरिष्ठ अध्येता (2012-13 में एक, और कैलेंडर वर्ष 2015 में दो) थे। अध्येता नियमित कर्मचारी नहीं हैं और 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए विशिष्ट विषयों पर शोध को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से काम पर रखा जाता है। निम्नलिखित अध्ययनों को वरिष्ठ अध्येताओं द्वारा आगे बढ़ाया गया है:

## क. भारत से प्रवासन का भविष्य: श्री जी गुरुचरण द्वारा नीति, रणनीति और संलग्नता के साधन:

रिपोर्ट में प्रवासन प्रक्त्रिया के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास किया गया है और प्रवासन नीति और व्यवहार में कुछ कमियों को दर्शाता है, जिससे यह शासन में सुधार की दिशा में सुझाव देता है जिस पर भारत के मामले में भविष्य के लिए विचार किया जाना चाहिए । यह भारत से उत्प्रवास स्वरूप का विश्लेषण करता है जो प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स (पीजीई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के साथ-साथ क्षेत्र स्तर के सर्वेक्षणों से एकत्र प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर है और अगले दशक में भारत से पलायन के भविष्य की संभावनाओं का अवलोकन करता है। रिपोर्ट में चार प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्प्रवास प्रबंधन संरचना पर भी आलोचनात्मक विचार किया गया है: प्रवासन नीति, रणनीति, सरकार के भीतर संस्थागत वास्तुकला और संलग्नता के साधन। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि वर्तमान नियामक संरचना को एक शासन ढांचे के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो तीन मौलिक संस्थानों पर आधारित हो सकता है। (क) भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए एक स्वतंत्र नियामक, (ख) एक मानक निकाय, और (ग) उत्प्रवासियों के संरक्षक (पीओई) कार्यालयों को 'प्रवासी संसाधन केंद्रों' में परिवर्तित किया जाए.

## ख. म्यांमार में भारतीय प्रवासी: सुश्री मेधा चतुर्वेदी द्वारा उभरते रुझान और चुनौतियां:

गुणात्मक अनुसंधान पर आधारित और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों पर निर्भर अध्ययन, म्यांमार में भारतीयों की वर्तमान स्थिति की जांच करता है। ऐसा करने में, यह अध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समुदाय के प्रवासन इतिहास का पता लगता है और म्यांमार में भारतीय प्रवासन की मौजूदा समझ में अंतर को दूर करने का प्रयास करता है और उन परिस्थितियों के कारण भारतीय मूल के लोग वापस रहते हैं या भारत लौटते हैं। यह अध्ययन इसी तरह के प्रवासन में भविष्य के संभावित रुझानों के बारे में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के बीच एक नए सिरे से चर्च शुरू करने और म्यांमार में वर्तमान पीआईओ के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास है। (क) म्यांमार में राज्यहीनता के मुद्दे के समाधान के लिए मान्यता के लिए पीआईओ के पंजीकरण की आवश्यकता हैं। ख) भारतीय कंपनियों द्वारा प्रचारित परियोजनाओं में भारतीयों के लिए रोजगार पैदा करना और (ग) जीसीसी में भारतीयों के प्रति भारत के दृष्टिकोण के समान म्यांमार में कल्याण और संरक्षण के भारतीय मॉडल को अपनाना।

## ग. खाड़ी प्रवासन, सामाजिक प्रेषण और धर्म: डॉ जिनु ज़चरीअ द्वारा केरल ईसाइयों की बदलती

### गतिशीलता।

इस अध्ययन में खाड़ी से भारत लौटने वाले सीरियाई ईसाई समुदाय के मामले पर चर्चा करते हुए केरल में ईसाई धर्म की बदलती गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया है और लौटने के बाद धार्मिक प्रथाओं, सिद्धांतों और अनुष्ठानों को बदलने पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्ययन कुवैत और केरल दोनों में किए गए क्षेत्र कार्य पर आधारित एक अनुभवजन्य शोध है और यह इंगित करता है कि केरल से खाड़ी में परिपत्र प्रवास ने केवल प्रवासियों के गृह समाज के साथ संपर्क को मजबूत किया है जिसके परिणामस्वरूप गृह समाज के साथ-साथ धार्मिक संस्थानों की प्रथाओं और प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि प्रवासन और प्रेषण का केरल में सीरियाई ईसाइयों की धार्मिक प्रथाओं पर काफी प्रभाव पड़ता है।

## 7. आईसीएम में प्रशिक्षु कार्यक्रम

आईसीएम, फैलोशिप कार्यक्रम के अलावा, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रवास में शोध कर रहे युवा शोधकर्ताओं को भी प्रशिक्षु के रूप में भर्ती करता है। प्रशिक्षु की भर्ती आवश्यकता के आधार पर की जाती है और विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय मामलों के प्रभाग की प्राथमिकताओं के आधार पर अध्ययन आवंटित किए जाते हैं । मंत्रालय के अधिकारियों और सीएओ, आईसीएमके मार्गदर्शन में 2016-2017 में, प्रशिक्षु ने निम्नलिखित अध्ययन किए हैं:

क. ईसीआर देशों में रोजगार के लिए  जाने वाले कामगारों को भारतीय संदर्भ में न्यूनतम रेफरल मजदूरी।

ख. प्रवासी रोजगार की मंशा वाले प्रवासन कामगारों के लिए कोलंबो प्रक्रिया देशों में उत्प्रवासन  और भर्ती प्रथाएं ।

ग. जेडब्ल्यूजी की जांच सहित छह श्रम समझौता ज्ञापनों का मूल्यांकन।

घ. कोलंबो प्रक्रिया सदस्य देशों (सीपीएमएस) में चुनिंदा उत्प्रवास अधिनियमों के विश्लेषण के साथ-साथ 1922 और 1983 के उत्प्रवास अधिनियमों का तुलनात्मक विश्लेषण।

## 8. वित्त और प्रशासनिक मुद्दे

### क. आयोजित मुख्य बैठकें:

आईसीएमकी वित्त समिति की तीसरी और चौथी बैठक क्रमश 20 दिसंबर 2016 और 9 मार्च 2017 को आयोजित की गई थी। शासी परिषद की  वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए दिशा और गतिविधियों को प्रदान करने के लिए 7वीं बैठक 13 फरवरी 2017 कोआयोजित की गई थी।

### ख. आईसीएम की सीएंडएजी लेखापरीक्षा

2016-2017 में, सीएंडएजी ने वित्त वर्ष 2011-2012 से वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए आईसीएमके प्रमाणन और लेनदेन, दोनों को लेखापरीक्षा पूरी कर ली है। आईसीएमने अपनी वित्त समिति (20 दिसंबर 2016 को) और शासी परिषद्

(13 फरवरी 2017 को) दोनों को इसके बारे में सूचित किया है।

प्रमाणन लेखापरीक्षा 1-16 सितंबर 2016 से और लेनदेन लेखापरीक्षा 17 अक्टूबर से 7 नवंबर 2016 तक की गई थी। प्रमाणन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और 9 मार्च 2017 को हुई अपनी चौथी बैठक में वित्त समिति को सूचित किया गया है। लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

## ग. वित्त वर्ष 2015-2016 की लेखापरीक्षा

आईसीएम की 22 मई 2015 को हुई शासी परिषद की 5वीं बैठक में मेसर्स अंतिमा एंड गोयल को तीन वर्ष की अवधि के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा पूरी कर ली है और रिपोर्ट को वित्त समिति को तीसरी बैठक में और शासी परिषद को 7वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया है।

## घ. विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम पंजीकरण:

आईसीएम का विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (2010) के अंतर्गत 1 दिसंबर 2016 को पंजीकरण हुआ है जिसका नंबर # 231661660 है। पंजीकरण पांच वर्ष के लिए वैध है। आईसीएम को वित्तीय वर्ष के दौरान सिंडिकेट बैंक, अकबर भवन शाखा, नई दिल्ली में नामित / अनन्य बैंक खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त थी।

## ङ. पिछली देनदारियों को बंद करना:

केंद्र ने शासी परिषद की मंजूरी से, 2016-2017 में, भारत-यूरोपीय संघ द्वितीय परियोजना और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संभावित प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल दोनों को बंद करने और सभी समापन औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्णय लिया है।

## च. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान

आईसीएम एक अनुदान सहायता निकाय है जो पूर्णत: विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित है। आईसीएमको वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इसके पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के लिए पिछले आवंटन का धन उपलब्ध था।

वित्त वर्ष 2016-2017 की लेखापरीक्षा चल रही है। हालांकि, मार्च 2017 के मध्य में आईसीएमकी निधियों की स्थिति इस प्रकार है:

| प्राप्तियां / आय | राशि (रु) | व्यय/भुगतान | राशि (रु) |
|---|---|---|---|
| अनुदान-सहायता | शून्य | इग्नू को अनुदान | 3,00,000 |
| **बैंक का ब्याज**<br>आईसीएमलेखा : 16,63,217<br>यूरोपीय संघ लेखा: 13,39,941 | 30,03,158 | सीडीएस को अग्रिम | 2,09,715 |
| विविध आय | 400 | प्रवासी भारतीय दिवस 2017 | 1,59,101 |
| आईडीएफओआई से प्राप्त | 4,82,666 | शासी परिषद की बैठक | 6,94,613 |
| टीडीएस | 2069 | स्टाफ को वेतन | 21,76,948 |
| | | प्रशिक्षु के लिए वृत्तिका | 2,55,108 |
| | | आउटसोर्स कर्मचारी | 1,37,295 |
| | | सीएजी लेखापरीक्षा शुल्क | 1,20,230 |
| | | टेलीफोन और इंटरनेट खर्च | 79,498 |
| | | मुद्रण और स्टेशनरी | 59,843 |
| | | घरेलू यात्रा व्यय | 66,923 |
| | | विविध खर्च | 49,008 |
| | | जलपान खर्च | 36,139 |
| | | लघु उपकरण | 8,879 |
| **उप-योग** | **34,88,293** | **उप-योग** | **43,53,300** |
| बैंक आईसीएमलेखा: 5,55,31,086<br>यूरोपीय संघ लेखा : 4,40,18,015 | 9,95,51,101 | बैंक आईसीएमलेखा: 5,32,60,153<br>यूरोपीय संघ लेखा : 4,53,57,955 | 9,86,20,108 |
| | | लेखापरीक्षा शुल्क (15-16) | 62100 |
| | | टीडीएस (15-16) | 3886 |
| कुल | **103039394** | कुल | **103039394** |

# 9. शासी परिषद 2015-17 के सदस्य

## पदेन सदस्य

1. सचिव, सीपीवी एंड ओआईए, विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष
2. सचिव, आर्थिक मामलें विभाग, वित्त मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि
3. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि
4. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि
5. सीईओ, आईसीएम– सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, ओआईए-I, विदेश मंत्रालय)

## राज्य सरकारें

6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार अथवा प्रतिनिधि
7. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा प्रतिनिधि
8. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार अथवा प्रतिनिधि

## नामांकित विशेषज्ञ:

9. डॉ. बी. आर. शेट्टी, सीईओ, एनएमसी हेल्थकेयर एंड यूएई एक्सचेंज (अबू धाबी)
10. श्री श्याम के जी परांडे, महासचिव, एआरएसपी (नई दिल्ली)
11. श्री खांडेराव कांड, संस्थापक, निदेशक, जीआईटीपीआरओ (यूएसए)
12. डॉ. प्रदीप कुमार सरमा, अशोका लेमेलसन फेलो एंड ईडी, ग्रामीण विकास केंद्र, (नई दिल्ली)

# 10.आईसीएम के कर्मचारी

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री मनीष गुप्ता | संयुक्त सचिव (ओआईए-1) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) |
| 2 | श्री. एम. सी पांडेय | उप सचिव (ओआईए-I) और मंत्रालय में संपर्क अधिकारी |
| 3 | डॉ. टी.एल.एस. भास्कर | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी |
| 4 | श्री विवेक खंडेलवाल | लेखा अधिकारी |
| 5 | श्री राकेश रंजन | अनुसंधान सहायक |
| 6 | श्री एच अरोक्कियाराज | अनुसंधान प्रशिक्षु |
| 7 | श्री अश्विन कुमार | अनुसंधान प्रशिक्षु |
| 8 | एम.एस. एंटरप्राइजेज/ स्वस्तिक इलेक्ट्रोटेक | कार्यालय परिचर |

# 11. चित्र

**प्रवासी भारतीय दिवस, *2017*, बेंगलुरु में विदेशों में भारतीयों के कल्याण और संरक्षण पर आईसीएमकी पुस्तिका का विमोचन**

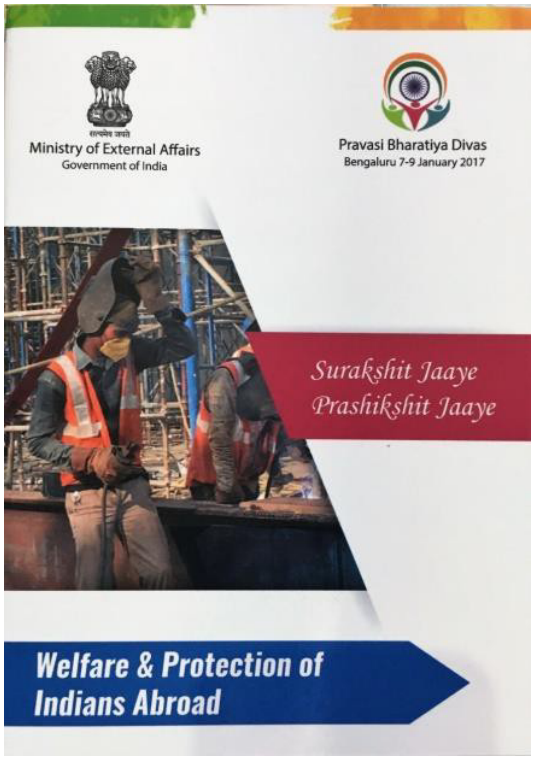

***2016-2017* में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन *(2017)* के सहयोग से तैयार प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास पर प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण मैनुअल और पुस्तिका**

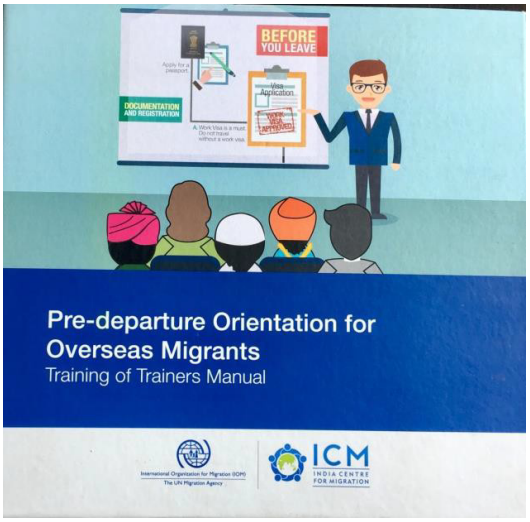


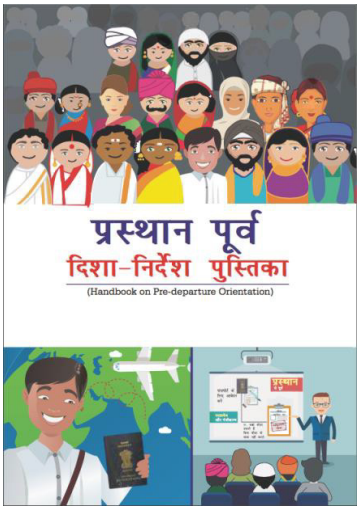


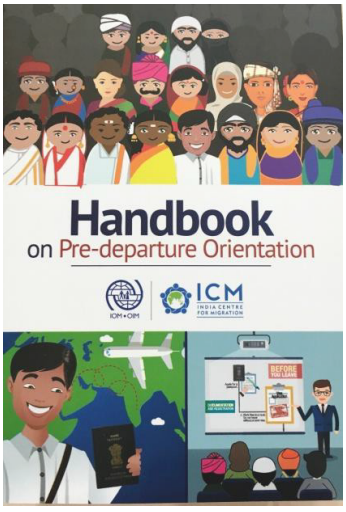

# 12. बैलेंस शीट

**भारतीय प्रवासन केंद्र**

1011, 10वां तल, अकबर भवन

चाणक्य पुरी, नई दिल्ली -110021

**31-मार्च-2017 तक का तुलन पत्र**

| | विवरण | नोट सं. | | 31-मार्च-2017 तक | | 31-मार्च-2016 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **निधियों का स्रोत** | | | | | | |
| 1 | **कायिक निधि** | | | 24,69,964 | 24,69,964 | 24,69,964 | 24,69,964 |
| 2 | **अनुदान** | | | | | | |
| | **अनुदान सहायता** | 1 | | 10,12,76,180 | 10,12,76,180 | 10,18,00,832 | 10,18,00,832 |
| 3 | **वर्तमान देयताएँ** | | | | | | |
| | (क) अन्य वर्तमान देयताएँ | 2 | | 81,900 | | 65,986 | |
| | (ख) सुरक्षा जमा राशि | | | 5,000 | 86,900 | 5,000 | 70,986 |
| | **कुल** | | | | **10,38,33,044** | | **10,43,41,782** |
| II. | **निधियों का प्रयोग** | | | | | | |
| 1 | **गैर-मौजूदा परिसंपत्ति** | | | | | | |
| | (क) स्थायी परिसंपत्ति संलग्न सूची के अनुसार | 3 | | 15,18,765 | | 17,77,915 | |
| | (ख) ऋण एवं अग्रिम | 4 | | 27,99,033 | | 27,71,984 | |
| | (ग) जमा | 5 | | 2,40,781 | 45,58,579 | 2,40,781 | 47,90,680 |
| 2 | **मौजूदा परिसंपत्ति** | | | | | | |
| | (क) नकद एवं बैंक शेष | 6 | | 9,92,74,465 | 9,92,74,465 | 9,95,51,101 | 9,95,51,101 |
| | **कुल** | | | | **10,38,33,044** | | **10,43,41,782** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अब तक के हमारे रिकॉर्ड के अनुसार) | | | | | | |
| | **अंतिमा और गोयल की ओर से** | | | | | | |
| | चार्टर्ड अकाउंटेंट | | | | | **भारतीय प्रवासन केंद्र** | |
| | ह/- | | | | | ह/- | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **एन.के. जिंदल** | | | | | **श्री मनीष गुप्ता** | |
| | **(साझेदार)** | | | | | **(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)** | |
| | **एफ.सी.ए एम. सं. - 91028** | | | | | | |
| | एफआरएन सं. : 009062N | | | | | | |
| | स्थान - नई दिल्ली | | | | | | |
| | दिनांक - 04.07.2017 | | | | | | |